अधिसूचना संख्या 199/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1986(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1586 (ई) दिनांक 11.11.2005 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 9 पर, "वात्सल्य ट्रस्ट, सी -2/32, श्री विजय कुंज सोसाइटी, कांजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई 400042" द्वारा "i) अनाथालय, ii) बालिका आश्रम, (iii) वृद्धाश्रम, (iv) बाल माता-पिता मार्गदर्शन केंद्र" को पात्र परियोजना या योजना के रूप में, अनुमानित लागत 1.92 करोड़ रुपये पर, वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित किया था, जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2391(ई) दिनांक 3.10.2008 के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त करने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2399(ई) दिनांक 18.10.2011 के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त करने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1971(ई) दिनांक 31.07.2014 के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त करने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और चूंकि परियोजना लागत 1.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 5.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के तहत अनुमोदित अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लिए परियोजना लागत को 1.92 करोड़ रुपये से संशोधित कर 5.00 करोड़ रुपये करने के लिए उक्त परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, अत:, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ 1586(ई) दिनांक 11.11.2005 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित, क्रम संख्या 9 के समक्ष तालिका में, कॉलम (4) में, "1.92 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर "5.00 करोड़ रुपए" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

■■